भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1148

उत्तर देने की तारीख-10/12/2025

विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

1148 श्री संदोष कुमार पी:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अगस्त, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) 31 अगस्त, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के रिक्त पदों की राज्य-वार सूची क्या है;
(ग) क्या सरकार ने 31 अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। इसलिए, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसके अलावा, भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है और रिक्तियां कई कारकों जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षकों की बढ़ती हुई आवश्यकता आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों से संबंधित आंकडे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखे जाते हैं।

सरकार समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 2.3 में प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) और बड़ी संख्या में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों वाले क्षेत्रों के लिए 25:1 से कम पीटीआर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। यूडाइज़+ के अनुसार, देश में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) वर्ष 2022-23 में 27:1 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 25:1 हो गया है। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के लिए मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों पर पीटीआर क्रमशः 10, 13, 17 और 21 बताया गया है।

सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों के माध्यम से पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों की समय पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का भी अनुरोध करती है। शिक्षकों के बीच योग्यता/गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की समय-समय पर यथा संशोधित राजपत्र अधिसूचना के तहत किसी व्यक्ति की शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन मोड में आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के संबंध में प्रगति की, जिसमें निरंतरता और शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है और प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान अभ्यास के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठकों के साथ-साथ आपसी सलाह के माध्यम से समीक्षा की जाती है।
